न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– श्री कमल राम मीना, आर.ए.एस.

नजरसानी प्रार्थना पत्र सं0 04/2011

उनवान

1. श्यामलाल पुत्र स्व0 कल्लूराम जाति चमार निवासी ग्राम नंगला बंजीरका तहसील रामगढ़ जिला अलवर – फौत
   1/1. ताराचन्द पुत्र श्यामलाल जाति चमार,
   1/2. हरचन्द पुत्र स्व0 श्री श्यामलाल जाति चमार,
   1/3. गजानन्द पुत्र स्व0 श्री श्यामलाल जाति चमार,
   1/4. पप्पू पुत्र स्व0 श्री श्यामलाल जाति चमार,
   1/5. देवानन्द पुत्र स्व0 श्री श्यामलाल जाति चमार,
   1/6. बलदेव पुत्र श्री श्यामलाल जाति चमार,
   1/7. सतबला पुत्री श्री श्यामलाल जाति चमार,
   1/8. श्रीमती अंगूरी बेवा श्री श्यामलाल जाति चमार निवासीयान ग्राम नंगला बंजीरका तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0 ।

..... अपीलांट/अप्रार्थी

बनाम

1. हमीद पुत्र श्री छुट्टन,
2. हनीफ पुत्र श्री छुट्टन जाति मेवान निवासीयान ग्राम नंगला बंजीरका तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0 ।

..... रेस्पो0/ प्रार्थीगण

उपस्थित :–
1. श्री मुकेश कुमार शर्मा, अभिभाषक प्रार्थी/रेस्पो0 ।
2. अपीलांट/अप्रार्थी बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–19.12.2017

अप्रार्थी द्वारा यह नजरसानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के आदेश दि0 31.05.2010 के खिलाफ प्रस्तुत किया गया है ।

नजरसानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया लेकिन उनकी तरफ से कोई भी उपस्थित नहीं आये । इसलिए इस न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर विद्वान अभिभाषक अपीलांट/अप्रार्थी की बहस सुनी गयी ।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी/अपीलांट ने बहस प्रार्थना पत्र में जाहिर किया कि धारा 212 आर.टी.एक्ट के निर्णय दिनांक 31.12.2009 की अपील में माननीय न्यायालय हाजा ने जो निर्णय धारा 225 आर.टी.एक्ट की अपील में पारित किया है कि पैमाईश के आधार पर निर्णय किया जावें, पर कहना है कि यह निर्णय तो मूल वाद के विषय का बिन्दु है । अधीनस्थ न्यायालय ने वादी/प्रार्थी के पक्ष में सही निर्णय दिया था, परन्तु अपील में अपीलांट श्यामलाल ने मिन रेस्पो0 हमीद की कोई तामील नहीं करायी और एकतरफा में निर्णय पारित करा लिया । मुझे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाना चाहिए था । अतः रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें तथा न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दि0 31.5.2010 को रिव्यू करने का निवेदन किया ।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट की प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा रेस्पो0 की तामील की रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया । दिनांक 10.3.2010 के सम्मन का अवलोकन करने पर पाया कि रेस्पो0 की तलबी चस्पांदगी से हुई है तथा रेस्पो0 गांव से बाहर जाना अवगत कराया है । अतः यह मानने का पर्याप्त कारण है कि रेस्पो0 की प्रोपर तलबी नहीं हुई है । अतः रेस्पो0 के विरूद्ध की गई एकतरफा सुनवाई में पारित निर्णय दिनांक 31.5.2010 रिव्यू की श्रेणी में आता है ।

इसलिए रिव्यू प्रार्थना पत्र रेस्पो0 हमीद वगैरा स्वीकार किया जाता है तथा गुणावगुण पर अपीलांट अभिभाषक को एकपक्षीय सुना गया । इस न्यायालय का आदेश दिनांक 31.5.2010 धारा 212 आर.टी.एक्ट की अपील धारा 225 आर.टी.एक्ट में पारित निर्णय में अपीलांट अभिभाषक का कथन है कि जो पैमाईश करने के आदेश दिये गये हैं वो मूल वाद के निर्णय के विषय हो सकते हैं । इन्हें धारा 212 आर.टी.एक्ट में लागू नहीं किया जा सकता है ।

अतः न्यायालय हाजा द्वारा जारी आदेश रिव्यू किये जाने योग्य है । उपरोक्त विवेचन से रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है ।

अतः रेस्पो0/प्रार्थीगण का नजरसानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा इस न्यायालय का आदेश दि0 31.5.2010 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि जो पूर्व में पैमाईश के आदेश दिये

19.12.17

गये थे, उस पैमाईश को अब मूलवाद के निर्णय में यदि आवश्यक समझा जाता है तो किया जा सकता है ।

निर्णय आज दिनांक 19.12.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

19.12.17

(कमलराम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर